

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला, चितौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प 34/21

पु 80/75
2021

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी
व भू.अ.नि. सी.म.ए. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शशि / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उपरदा तहसील शशि व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 13, 203, 30, 31, 29, 32,
28 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दशमद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	उपरदा	131	उदम लाल पुज किराना	उदम राम पुज किराना
2.	—	203	उदम पुज किराना	—
3.	—	30	—	—
4.	—	31	—	—
5.	—	29	—	—
6.	—	32	—	—
7.	—	28	—	—
8.	पकनीखेड़ा	11	—	—



(नीता वसीदा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

दिनांक :- 8/10/21

क्रमांक:- 175/2021
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

8/10/21

(नीता वसीदा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

